projects for the welfare of working children. In addition, with ILC's assistance two projects for the benefit of working children namely, IPEC (International Programme on elimination of Child Labour) and CLASP (Child Labour Action and Support Programme) have also been taken up.

देश में उचित दर की नई दुकानों का खोला जाना

*112 **श्री राम जेठमलानी :**

डा. जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992 के आरंभ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीनीकरण करके इसका लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों तक पहुंचाने के लिए देश के 1700 नए ब्लाकों में 17,000 उचित दर की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दुकानों पर नए राशन कार्ड भी बनाए गए थे; यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ग) इन नए ब्लाकों में खोली गई दुकानों को वर्ष 1992-93 के दौरान कितना खाद्यान्न, अर्थात् गेहूं और चावल आबंटित किया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान वर्ष 1991-92 की तुलना में कम खाद्यान्न, अर्थात् गेहूं और चावल जारी किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 और 1992-93 में कितना-कितना खाद्यान्न विकृयार्थ दिया गया ?

नागरिक, आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक विवरण : मंत्री (श्री ए. के. एन्टनी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों को सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के लिए चुना है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 31-3-1993 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए 10433 उचित दर की दुकानें खोली गई हैं और लगभग 25 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए गए हैं । जून, 1992 से केवल इस चुने क्षेत्रों में वितरण के लिए प्रति वर्ष 20 लाख मी. टन खाद्यान्न नियत किया गया है । यह राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में गत समय में पहले से आबंटित किए जा रहे खाद्यान्न की मात्रा के अतिरिक्त है ।

केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का केवल थोक आबंटन करती है । यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य के भीतर आगे और वितरण करें । हकदारी की मात्रा, अंतर-जिला तथा अंतर-क्षेत्रीय आबंटन आदि संबंधित निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं । उचित दर दुकानवार आबंटन का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1992-93 में वितरण के लिए चावल तथा गेहूं की कुल क्रमश 112.5 लाख मी. टन तथा 90.3 लाख मी. टन मात्रा आबंटित की गई थी, जबकि 1991-92 में इन्हें इन वस्तुओं की क्रमशः 111.4 लाख मी. टन तथा 101.6 लाख मी. टन मात्रा आबंटित की गई थी ।

Accidents in Coal Mines

113. SHRI SUNIL BASU RAY : Will the Minister of COAL be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2331 given in Rajya Sabha on the 15th March, 1993 and state:

(a) whether it is a fact that accidents fatal and serious in the coal mines have increased in 1992;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what are the details of such accidents, company-wise ?